संख्या-76/2024/001-2828577/12-2099/97/2023

प्रेषक,

टी0 के0 शिबु,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2024

विषयः-नेशनल क्राप इंश्योरेंस प्रोग्राम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया कृषि निदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एस-249/लेखा/वित्तीय स्वीकृति/2024-25, दिनांक 03 मई, 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-110-फसल बीमा-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8902-नेशनल क्रॉप इन्श्योरेंस प्रोग्राम (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) के विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रूपये 320.00 लाख के सापेक्ष मानक मद 04-यात्रा व्यय में रू0 30.00 लाख, 08-कार्यालय व्यय में रू0 40.00 लाख, 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई में रू0 40.00 लाख, 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में रू0 30.00 लाख, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू0 30.00 लाख, 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय में रू0 100.00 लाख एवं 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय में रू0 50.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रूपये 320.00 लाख (रूपए तीन करोड़ बीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

## नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तथा भारत सरकार से प्राप्त सहमति के अनुरूप किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना में दिये गये दिशा-निर्देश/गाइड लाइन के अनुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय उसी पर/कार्यो में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(4) धनराशि का व्यय योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार निर्धारित केन्द्रांश अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा तथा आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

(5) कृषि निदेशक स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

(6) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(7) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) कृषि निदेशक सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लेंगे। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

(9) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

(12) उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान सीमा के अन्तर्गत रहेगी। यह कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का दायित्व होगा।

(13) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में रक्षित नही की जायेगी।

(14) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

**लेखाशीर्ष:** 2401001108902 (नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम)

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 011 | 2401001108902 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम | 04 यात्रा व्यय | 30,00,000 ( रुपये तीस लाख मात्र ) |
| 2 | 011 | 2401001108902 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम | 08 कार्यालय व्यय | 40,00,000 ( रुपये चालीस लाख मात्र ) |
| 3 | 011 | 2401001108902 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम | 11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 40,00,000 ( रुपये चालीस लाख मात्र ) |
| 4 | 011 | 2401001108902 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम | 12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 30,00,000 ( रुपये तीस लाख मात्र ) |
| 5 | 011 | 2401001108902 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम | 15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 30,00,000 ( रुपये तीस लाख मात्र ) |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 011 | 2401001108902<br>नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम | 46<br>कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 1,00,00,000<br>( रुपये एक करोड़ मात्र ) |
| 7 | 011 | 2401001108902<br>नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम | 47<br>कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 50,00,000<br>( रुपये पचास लाख मात्र ) |
| | **कुल** | | | **3,20,00,000<br>( रुपये तीन करोड़ बीस लाख मात्र )** |

| | |
|---|---|
| **महायोग** | 3,20,00,000<br>( रुपये तीन करोड़ बीस लाख मात्र ) |

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-1-105-X-2024-25, दिनांक 14 अगस्त, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
टी0 के0 शिबु
विशेष सचिव।

संख्या-76/2024/001-2828577(1)/12-2099/97/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ/संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।